छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 9 जुलाई, 2008
(आषाढ़ - 18, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 13 एवं 14 (कुल 09) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 01, 04, 05, 10, 11 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्रीमती (डॉ.) रेणु जोगी, श्री नंदकुमार पटेल, श्री चुरावन मंगेशकर, महंत रामसुंदरदास, डॉ.चेतन वर्मा अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 17 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008) पटल पर रखा ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1993) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007,

(2) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-2409/डी-819/21-ब/छ.ग./08, दिनांक 18 मार्च, 2008,

(3) श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 29 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ4-325/गृह-सी/2005, दिनांक 12 जून, 2008 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2008,

(4) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1993) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-21/एफ-2(2)/48/सं.का./07, दिनांक 16 जनवरी, 2008,

(5) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-467/तक.-506/टीसी/2008, दिनांक 31 मई, 2008,

(6) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसूचना क्रमांक-208/तक.विधान/टीसी/08, दिनांक 21 अप्रैल, 2008, तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक-536/तक.विधान/टीसी/08, दिनांक 5 मई, 2008

पटल पर रखे ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने जिला-बिलासपुर, विकासखण्ड-बिल्हा, ग्राम-बोड़सरा के मेला में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

बोड़सरा मामले के शांतिपूर्ण हल के लिए श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने सदन की एक सर्वदलीय समिति गठित करने की मांग की । गृह मंत्री के वक्तव्य से असंतुष्ट प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान किया गया । सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा भी नारेबाजी की गई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की गई । किन्तु प्रतिपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये ।

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, बोधराम कंवर, भूपेश बघेल, गुलाब सिंह, योगेश्वर राज सिंह, डॉ.शिवकुमार डहरिया, डॉ.रामचंद्र सिंहदेव, रविन्द्र चौबे, डॉ.शक्राजीत नायक, ताम्रध्वज साहू, उदय मुदलियार, चंद्रभान बारमते, अमरजीत भगत, सत्यनारायण शर्मा, रामपुकार सिंह, डॉ.हरिदास भारद्वाज, गणेशशंकर बाजपेयी, ओंकार शाह, चुरावन मंगेशकर, मोतीलाल देवांगन, सियाराम कौशिक, चैतराम साहू, धनेन्द्र साहू, मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, नोवेल कुमार वर्मा ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों को सभा से बाहर जाने के निर्देश दिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा तथा सर्वश्री निर्मल सिन्हा, दयालदास बघेल एवं संजय ढीढी, सदस्य ने भी बोड़सरा प्रकरण पर अपने विचार रखे ।

6. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने 01.22 बजे नियम 250 (1) के अंतर्गत स्वमेव निलंबित सदस्यों के निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

प्रतिपक्ष के सदस्य सदन में आए ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला जांजगीर में फर्जी डी.ओ. के माध्यम से धान उठाए जाने की ओर राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री सत्यानंद राठिया, राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ने इस पर वक्तव्य दिया ।

8. भोजन अवकाश की निरस्ती

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज भोजनअवकाश नहीं होगा । माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था भोजन कक्ष तथा पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने निम्न विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

1. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 16 सन् 2008)
2. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008)
3. छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008)

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008(क्रमांक 16 सन् 2008)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया ।

(3)छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008)

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया ।

10. वर्ष 2007-2008 के अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

सदन द्वारा सहमति दी गई ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 60, 64, 66, 67, 68, 71, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार तीन सौ सतासी करोड़, एक लाख, सत्तर हजार, नौ सौ पचास रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डॉ.रामचंद्र सिंहदेव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

श्री देवजी पटेल,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, इंदर चोपड़ा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री उदय मुदलियार, विजय अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, दयालदास बघेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज, लच्छुराम कश्यप, कवासी लखमा, निर्मल सिन्हा, नोवेल कुमार वर्मा एवं श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 3) विधेयक, 2008 (क्रमांक 19 सन् 2008)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 3) विधेयक, 2008 का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 3) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 3) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव पर मत लिया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008)

श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रविन्द्र चौबे, श्री लच्छुराम कश्यप,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री डॉ.हरिदास भारद्वाज, निर्मल सिन्हा, नोवेल कुमार वर्मा ।

श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने ।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड 9 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

विधेयक के खंड 9 में शब्द *वह जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है से दंडित किया जायेगा* के स्थान पर *उल्लंघन करने वाले छात्र की परीक्षा उस सत्र में रद्द करने की शास्ति लगायी जायेगी* किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

खंड 9 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 10 से 15 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 15 सन् 2008)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री इंदर चोपड़ा ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008)

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(5) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 12 सन् 2008)

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व 4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

12. सदन को सूचना
स्मृति चिह्न एवं समूह छायाचित्र का प्रदाय

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - कल सायं 7.00 बजे द्वितीय विधान सभा की स्मृति स्वरूप स्मृति चिह्न एवं महामहिम के साथ हुए समूह छायाचित्र का प्रदाय महामहिम के मुख्य आतिथ्य में होगा ।

कार्यक्रम ठीक 7.00 बजे आरंभ होगा । समस्त सदस्य कृपया समय से 10 मिनट पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना सुनिश्चित करें ।

रात्रि 8.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 10 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 19, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा